

राजस्व

विषय :

114/50-2

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रि-परिषद् आदेश

आयटम क्रमांक 18 दिनांक 18 फरवरी, 2014

विषय:-

महिला सशक्तिकरण द्वारा राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास में उनकी समान साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण के संबंध में

निर्णय लिया गया कि महिलाओं को सशक्त नेतृत्व क्षमता, राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "मुख्य मंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था 2014-15 के अकादमिक सत्र से लागू किया जावे।

(अंन्टोनी डिसा)

मुख्य सचिव,

18 फरवरी, 2014

प्रमुख सचिव,  
महिला एवं बाल विकास विभाग

DS (अधिकारी पर)  
45

विषय :

एफ 19-2/2018/38-2

पूर्व पृष्ठ से:-

17  
का विभाग**मंत्रि-परिषद् आदेश****आयटम क्रमांक 29 दिनांक 22 मई, 2018**

विषय:-

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) के अंतर्गत संचालित समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) Bachelor of social work (community leadership) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों के समान शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सुविधा एवं लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में

निर्णय लिया गया कि-

1. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा संचालित समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के समतुल्य माना जावे।
2. उच्च शिक्षा विभाग सहित शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ जो कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, निर्धारित पात्रता एवं शर्त पूर्ण होने की स्थिति में सत्र 2018-19 से महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट में पंजीकृत समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रदान किया जावे।

(बसंत प्रताप सिंह)  
मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग

CHB

MPP (संसार)

22.5.18  
B.P.S.  
मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 11/06/2018

//आदेश//

कमांक एफ 19-2/2018/38-2 राज्य शासन एतद् द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा संचालित समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के समतुल्य मानते हुए उच्च शिक्षा विभाग सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ निर्धारित पात्रता एवं शर्त पूर्ण होने की स्थिति में सत्र 2018-19 से प्रदान करता है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(बी.आर. नायडू)  
अपर मुख्य सचिव  
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 11/06/2018

पृष्ठांकन कमांक एफ 19-2/2018/38-2  
प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
- 2 रटाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
- 3 विशेष सहायक माननीय मंत्री/राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 4 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 5 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 7 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 8 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 9 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन रकूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 10 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 11 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 12 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 13 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 14 कुल सचिव, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना (म0प्र0)

(बी.आर. नायडू)  
अपर मुख्य सचिव  
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग